बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 154/आवंटन   पटना, दिनांक 23.03.18

सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 06 / 2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक(तक0),
तकनीकी विकास निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102– औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0164–बिहार फाउण्डेशन, विपत्र कोड 23-2852801020164, निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना के लिए विषय शीर्ष–0164.01.04 मकान किराया भत्ता से रू0 11.40 लाख (ग्यारह लाख चालीस हजार), विषय शीर्ष–0164.11.01 यात्रा व्यय मद से रू0 20.40 लाख (बीस लाख चालीस हजार) एवं विषय शीर्ष–0164.28.02 संविदा सेवाएं मद से रू0 37.20 लाख (सैतीस लाख बीस हजार) अर्थात कुल रू0 69.00 लाख (उनहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष–0164.01.04 मकान किराया भत्ता से रू0 11.40 लाख (ग्यारह लाख चालीस हजार), विषय शीर्ष–0164.11.01 यात्रा व्यय मद से रू0 20.40 लाख (बीस लाख चालीस हजार) एवं विषय शीर्ष–0164.28.02 संविदा सेवाएं मद से रू0 37.20 लाख (सैतीस लाख बीस हजार) अर्थात कुल रू0 69.00 लाख (उनहत्तर लाख) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0164–बिहार फाउण्डेशन, विपत्र कोड 23-2852801020164, निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना के लिए विषय शीर्ष–0164.01.04 मकान किराया भत्ता से रू0 11.40 लाख (ग्यारह लाख चालीस हजार), विषय शीर्ष–0164.11.01 यात्रा व्यय मद से रू0 20.40 लाख (बीस लाख चालीस हजार) एवं विषय शीर्ष–0164.28.02 संविदा सेवाएं मद से रू0 37.20 लाख (सैतीस लाख बीस हजार) अर्थात कुल रू0 69.00 लाख (उनहत्तर लाख) मात्र के अन्तर्गत पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4877, दिनांक 16.11.17 द्वारा उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 में के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1198 दिनांक 20.03.18 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। इस स्वीकृत्यादेश के सभी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

कृ0 पृ0 उ0

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 तथा CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(च) 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

6 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 154/आ०ग्री०27 पटना, दिनांक 23.03.18
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 154/आ०ग्री०27 पटना, दिनांक 23.03.18
प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0 डी0सी0–यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।